

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ****आपराधिक विविध अग्रिम जमानत याचिका अंतर्गत धारा 438 भा०दं०प्र०सं०****संख्या-150 वर्ष 2021**

अनिरुद्ध प्रसाद पाण्डेय

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : इन्द्र प्रताप सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 23**माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती**

द्वितीय बार प्रकरण को सुनवाई हेतु पुकार तलब किया गया। वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन पर बल देने के लिए आवेदक की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता राज्य के लिए मौजूद हैं।

वर्तमान आवेदन के माध्यम से आवेदक ने प्रार्थना की है कि पुलिस स्टेशन – पूरा कलंदर, जिला फैजाबाद/अयोध्या में भा०दं०सं० की धारा 409/406 के तहत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 538/2020 में गिरफ्तारी की स्थिति में उसे अग्रिम जमानत दी जाए।

इस न्यायालय की समकक्ष पीठ ने 27.01.2021 के आदेश के ज़रिए आवेदक को अंतरिम अग्रिम जमानत देते हुए यह आदेश पारित किया है:-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

- "1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री इंद्र प्रताप सिंह, राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. वर्तमान आवेदन के माध्यम से आवेदक ने प्रार्थना की है कि आवेदक को 538/2020, धारा - 409/420 भा०दं०सं०, पुलिस स्टेशन - पूराकलंदर, जिला फैजाबाद/अयोध्या के तहत गिरफ्तारी की स्थिति में अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहा गया है कि यह निर्माण एवं डिजाइन प्रभाग, उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा अयोध्या में कराए गए सिविल कार्य के संबंध में है। आवेदक प्रासंगिक समय में रेजिडेंट इंजीनियर के रूप में कार्यरत था और प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवश्यकता से अधिक सामग्री खरीदी गई थी। बार-बार अनुस्मारक देने के बावजूद, आवेदक के साथ-साथ अन्य संबंधित व्यक्तियों ने उक्त सामान को किए गए कार्य के विरुद्ध समायोजित नहीं किया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में केवल यही दर्ज है कि इस तथ्य के कारण वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 409, 420 भा०दं०सं० के तहत दर्ज किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को पढ़ने से, आवेदक के विरुद्ध धारा 409, 420 भा०दं०सं० के तहत कोई अपराध का मामला नहीं बनता है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक ने पहले ही 06.02.2017 को यूनिट 21 में उपभोग विवरण जमा कर दिया है, लेकिन उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते समय इसे ध्यान में नहीं रखा गया था।
5. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक एक लोक सेवक है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने या गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कोई संभावना नहीं है और यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, दूसरी ओर अग्रिम जमानत के लिए आवेदन का विरोध करता है लेकिन उपरोक्त तर्क पर कोई विवाद नहीं करता है।

7. मामले के उपरोक्त पहलुओं पर विचार करते हुए और मामले की योग्यता में प्रवेश किए बिना, आवेदक को भा०दं०प्र०सं० की धारा 438 के तहत सूचीबद्ध होने की अगली तारीख तक अंतरिम सुरक्षा प्रदान करना उचित होगा।

8. विपरीत पक्ष संख्या 4 को शीघ्र वापसी योग्य नोटिस जारी करें।

9. इस संबंध में तीन दिन के भीतर कदम उठाया जाए।

10. सूचीबद्ध होने की अगली तारीख तक, आरोपी-आवेदक, अर्थात् अनिरुद्ध प्रसाद पांडे, को उपरोक्त मामले के अपराध के संबंध में गिरफ्तारी की स्थिति में, गिरफ्तार करने वाले अधिकारी/जांच अधिकारी/एस.एच.ओ. की संतुष्टि के अनुसार एक निजी बंधपत्र और समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन तुरंत जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा:-

(i) कि आरोपी-आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारियों द्वारा पूछताछ के लिए खुद को उपलब्ध कराएगा और जांच में सहयोग करेगा;

(ii) आरोपी-आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके; और

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(iii) आरोपी-आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

11. आरोपी/आवेदक की ओर से पुलिस अधिकारी को सौंपे गए जमानत संबंधी कागजात केस डायरी का हिस्सा होंगे और धारा 173(2) भा०दं०प्र०सं० के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के समय संबंधित अदालत में प्रस्तुत किए जाएंगे।

12. इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियम, 1952 (संशोधित) के भाग-III, अध्याय XVIII, नियम-18[3(ए)] के तहत, जमानत आवेदन की एक प्रति उसके संलग्नकों के साथ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा, आज से दो दिनों के भीतर, बिना किसी असफलता के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को प्रदान की जाए।

13. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता प्रार्थना करते हैं और उन्हें जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाता है।

14. इस मामले को 23.02.2021 को सूचीबद्ध करें।"

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को उपरोक्त आदेश के अनुपालन में निजी मुचलका और दो जमानतदार दाखिल करने के बाद अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है। उन्होंने जांच में विधिवत सहयोग किया है। उसने न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है। वह मुकदमे में सहयोग करने का वचन देती है और यदि उसे अग्रिम जमानत मिल जाती है, तो वह अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिए गए उपरोक्त तथ्यों पर विवाद नहीं कर सके।

मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त किए बिना और आरोप की प्रकृति पर विचार किए बिना और इस तथ्य पर कि आवेदक ने अदालत द्वारा दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया है, साथ ही आवेदक द्वारा दिए गए वचन के साथ कि वह मुकदमे में सहयोग करेगी, इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा दिनांक 27.01.2021 के आदेश के तहत दी गई अंतरिम सुरक्षा को **सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली)-2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 98**, मामले में शीर्ष अदालत के फैसले के मद्देनजर पूर्ण बनाया जाता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

आदेश दिनांक- मार्च 18, 2026

आरती-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।